



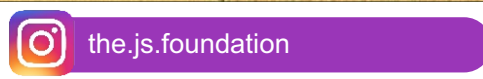
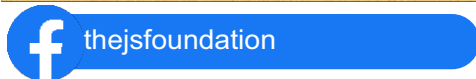
विकसित



ग्राम योजना

Project By :-

JS Foundation Section 8(1) Company



**Corporate Office:- 1011, VISHAL TOWER, DISTRICT CENTER JANAKPURI
NEW DELHI JANAKPURI B-1 WEST DELHI-110058**

www.thejsfoundation.com



विकसित ग्राम योजना (VGY) का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत के सभी ग्राम पंचायत का जीवन स्तर और उनकी गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार करके समावेशी विकास हासिल करना है, जिससे अच्छी सामाजिक, शैक्षणिक, नैतिक, आर्थिक जैसी बुनियादी सुविधा तथा उच्च उत्पादकता, उन्नत मानव विकास और बेहतर रोजगार एवं आजीविका का अवसर प्रदान करना है।

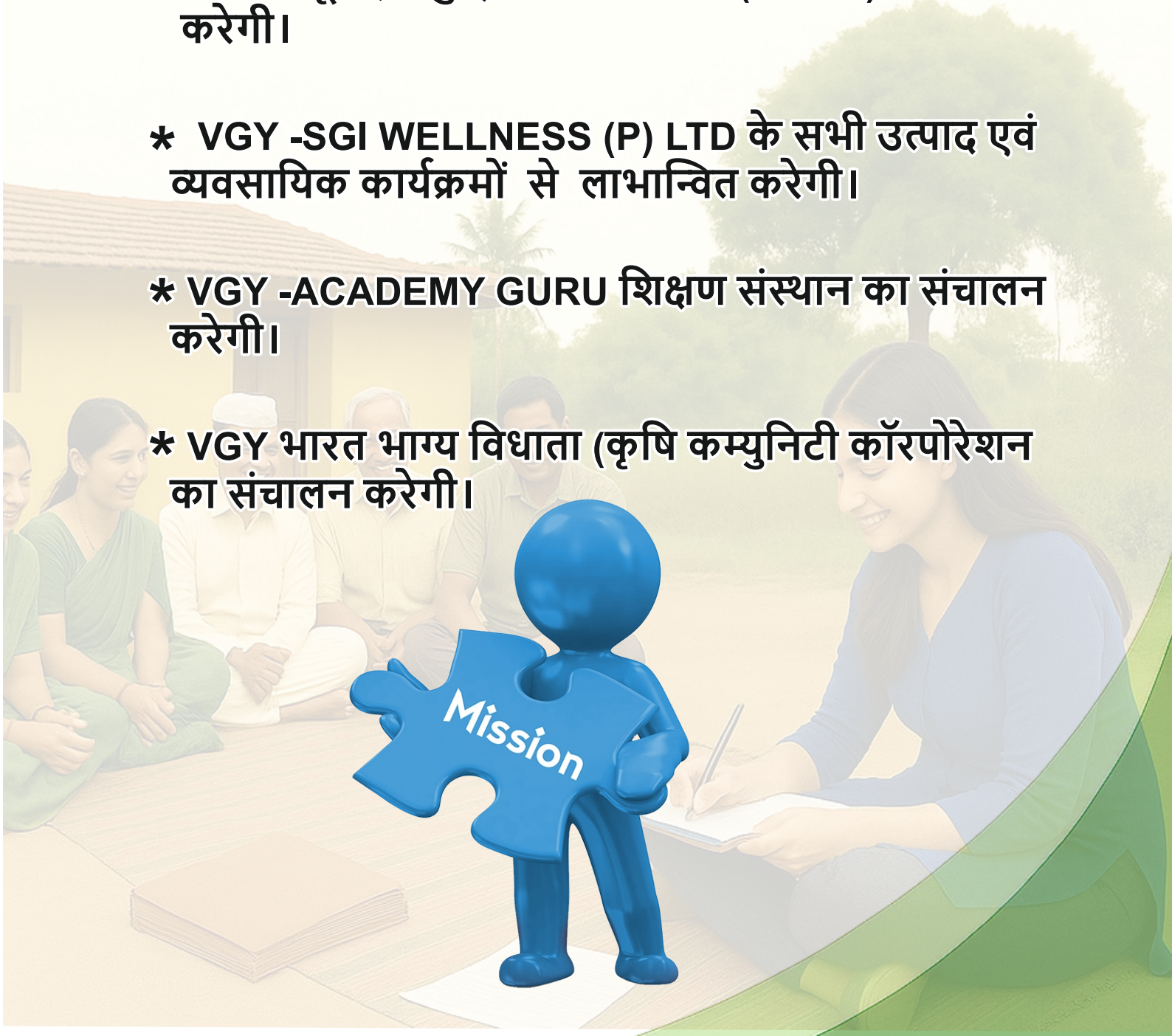
- * ग्राम पंचायत के सभी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधा अथवा ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका जैसी सामाजिक समावेश, प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्था के प्रति जागरूकता अथवा सहयोग प्रदान करना है।
- * सभी नागरिकों के जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार करना (VGY) का उद्देश्य है।
- * VGY के माध्यम से ऐसे विकसित एवं आदर्श ग्राम का निर्माण करना है जो अन्य ग्राम पंचायत के लिए प्रेरणादायक बन सके।
- * VGY ग्राम स्तर पर केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा प्रस्तावित योजनाओं के प्रति जागरूकता एवं संचालन करेगी।
- * VGY समुदायों को विकास की प्रक्रिया में शामिल करना और उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने की दिशा में प्रेरित करेगी।



Mission



- * ग्रामीण भारत के सभी ग्राम पंचायत में स्वयं सहायता समूह का गठन VGY का मुख्य उद्देश्य है।
- * स्वयं सहायता समूह, छोटी बड़ी व्यापारियों, उद्यमियों एवं ग्रहणियों को DS/WS/MS/FD निवेश योजना में शामिल करना और उन्हें MSME से जोड़ना VGY का उद्देश्य है।
- * VGY सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME) केंद्र स्थापित करेगी।
- * VGY -SGI WELLNESS (P) LTD के सभी उत्पाद एवं व्यवसायिक कार्यक्रमों से लाभान्वित करेगी।
- * VGY -ACADEMY GURU शिक्षण संस्थान का संचालन करेगी।
- * VGY भारत भाग्य विधाता (कृषि कम्युनिटी कॉरपोरेशन का संचालन करेगी।



विकसित ग्राम योजना

1. free Higher Education
2. easy Education Loans
3. College Guide



1. नारी सुरक्षा

2. नारी सम्मान

3. नारी स्वावलंबन

1. Bike & Car Fund
2. House Fund & Luxiary House fund
3. National & International Tour Fund
4. Club Rewards



11 से 18 प्रतिशत तक ब्याज पाये।



रोजगार, स्वरोजगार एवं हिस्सेदारी पाये।



1. Free Consumer ID
2. 05-25% Discount
3. E-Credit Card
4. MLM & Retail Benifits



1. Retail Shop
2. B-Mart
3. D-Mart

नियम व शर्तें :-

स्वयं सहायता समूह / निवेशक सदस्यों के लिए उपयुक्त सुविधाये प्रभावी है। सभी प्रस्तावित सुविधाओं के लिए अलग-अलग नियम एवं शर्तें लागू होगा।

स्वयं सहायता समूह की गठन विधि

- * स्वयं सहायता समूह का गठन ग्रामीण भारत के सभी ग्राम पंचायत में किया जाएगा।
- * पंचायत के प्रत्येक वार्डों में 1 से 2 समूह मात्र गठन किया जा सकता है। सीमावर्ती क्षेत्र में आंशिक सदस्य को शामिल किया जा सकता है।
- * प्रत्येक समूह में 11 से 15 सदस्य शामिल हो सकते हैं।
- * सदस्यों की पहचान वार्ड के मूल निवासी के रूप में होना है।
- * सभी सदस्यों की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष होना है।
- * समूह के कार्यकारी अधिकारी अध्यक्ष, सचिव, एवं कोषाध्यक्ष होंगे। तीनों पदों की नियुक्ति आम सभा करेगी।
- * कार्यकारी पदाधिकारी की शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास होना है।
- * समूह में शामिल सदस्य DS/MS/WS/FD निवेश प्लान से संबंधित स्वतंत्र निर्णय ले सकेंगे। यह सभी के लिए अनिवार्य है।



नियम व शर्तें :-

- (A) VGY समूह का गठन पंचायत सहायक/अधिकर्ता वेब पोर्टल एवं तकनीकी उपकरण /मैनुअल प्रपत्र की सहायता से किया जा सकता है।
- (B) समूह सदस्य कोई भी वर्ग अथवा समुदाय के हो सकते हैं सदस्यता पात्रता, आधार कार्ड, निर्वाचन पत्र, राशन कार्ड, बैंक खाता एवं वैकल्पिक पैन कार्ड, नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो (रंगीन) एवं नोमिन ए का विवरण होना अनिवार्य है।
- (C) नॉमिनी पुत्र/पुत्री/पति-माता, पिता, पुत्रवधू अन्य अभिभावक अथवा संबंधी हो सकता है।
- (D) प्रमाणित प्रपत्र से बेमेल या अपूर्ण विवरण प्रविष्टि होने के अभाव में सदस्यता स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
- (E) सदस्यता पत्र प्रविष्टि करने दौरान DS, MS, WS, FD प्लान एवं टर्म का चयन करना अनिवार्य है सदस्य एक से अधिक निवेश प्लेन का हिस्सा हो सकते हैं।
- (F) पंचायत सहायक को सदस्यता लेने एवं दैनिक गतिविधि और संबंधित रिपोर्ट स्वतः जांच करने उपरांत रिकॉर्ड बुक में अंकित करना होगा।
- (G) रिकॉर्ड बुक में अंकित विवरण या शाखा प्रबंधक को प्रविष्टि किया रिपोर्ट में त्रुटि या मिलन नहीं होने की स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एक से अधिक बार गलत रिपोर्ट प्रविष्टि करने पर पंचायत सहायक/अधिकर्ता को शाखा प्रबंधक अयोग्य कर निष्कासित कर सकता है।

आम सभा का कर्तव्य

VGY (स्वयं संहिता समूह) के सभी सदस्यों को किसी भी विषय पर सामान्य मत रखने की अनुमति आम सभा देती है।

(A) आम सभा का प्रस्तावक पंचायत सहायक/अभिकर्ता होंगे समूह का गठन, विस्तारित कारण, कार्यवाही या विघटन के लिए आयोजित की जाएगी। कोई भी विषयों के लिए आमंत्रित किए गए आमसभा में दो तिहाई सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य है कोरम आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में आम सभा स्थगित हो जाएगा, स्थगित की गई बैठक को 24 से 48 घंटा के अंदर प्रस्तावक को आमंत्रित करने होंगे तथा अंतिम निर्णय लेना अनिवार्य है।

(B) आम सभा सभी सदस्यों को विवेकता पूर्ण निर्णय लेने का स्वतंत्र अधिकार देता है। VGY स्विंग सहायता समूह का गठन कम से कम 11 सदस्यों की पात्रता प्राप्त होने की स्थिति में प्रस्तावक आम सभा आमंत्रित करने का निर्णय ले सकता है।

(C) आम सभा VGY स्विंग सहायता समूह के नाम और कार्यकारी अधिकारी को सर्वसम्मति से मनोनीत अथवा निर्वाचन प्रक्रिया के तहत निर्वाचित करने में सक्षम होंगे।

(D) स्वयं सहायता समूह का गठन और कार्यकारी अधिकारी को मनोनीत करने की प्रक्रिया में सदस्यों का सामान्य मत नहीं होने की स्थिति में प्रस्तावक मतदान करने का प्रस्ताव अंतिम निर्णय के रूप में ले सकते हैं। तथा प्रस्ताव पत्र में मतदान तिथि एवं समय सुनिश्चित करना होगा, प्रस्तावित समय सीमा में मतदान कार्य संपन्न कर लेना होगा।

(F) प्रस्तावित मतदान की तिथि से 12 से 24 घंटा पूर्व में तीनों ही पद के उम्मीदवार या अभ्यर्थी को निर्वाचन प्रपत्र प्रस्तावक को दाखिल करना होंगे।

प्रस्तावक निर्वाचन की प्रक्रिया वॉलेट पेपर के माध्यम से करेंगी। वॉलेट पेपर तीनों पद के उम्मीदवार का नाम अंकित किया जाएगा VGY समूह सदस्य अपने समर्थित कार्यकारी सदस्य नाम के आगे सही मार्क और हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाकर VIOLET BOX में वॉलेट पेपर गिरकर समर्थन देंगे।

(G) वॉलेट पेपर पर सही मार्क और हस्ताक्षर/अंगूठा निशान नहीं होने पर बॉक्स वोट मानी जाएगी। बॉक्स वोट किसी भी उम्मीदवार का समर्थन नहीं माना जाएगा।

(H) मतदान प्रक्रिया होने उपरांत प्रस्तावक सभी सदस्यों की उपस्थिति में वॉलेट बॉक्स खोलकर समर्थक सदस्य (वोट) की गणना करेंगे कोरमा की आपूर्ति जिनके पक्ष में होगी वह कार्यकारी अधिकारी के रूप में निर्वाचित कर लिया जाएगा। विरोध जताने वाले सदस्य को तत्काल सदस्यता रद्द करनी होगी।

(I) VGY स्विंग सहायता समूह के सभी सदस्य निर्विरोध कार्यकारी अधिकारी मनोनीत करने में सक्षम होंगे जहां कोरमा आवश्यकता नहीं होगी।

(J) VGY स्वयं सहायता समूह अपने गठन तिथि से बचत एवं अन्य उद्देश्यों प्राप्ति हेतु आकांक्षी मानी जाएगी तथा कार्यकारी अधिकारी को अपनी कर्तव्यों के प्रति सक्रिय रहना होगा।

(K) आम सभा के दौरान VGY समूह सदस्य से 100 रुपया प्रवेश शुल्क एवं दैनिक बचत (प्रथम किस्त) प्रस्तावक के द्वारा जमा कर लिया जाएगा। उक्त तिथि से वर्ष में 365 दिन का वार्षिक बचत सामूहिक बचत पणजी (इलेक्ट्रॉनिक एक्सल) में प्रस्तावक को रिकॉर्ड तैयार करना होगा।

(L) प्रस्तावक को आमसभा तिथि से दैनिक क्लोजिंग नियम के तहत बचत, प्रवेश शुल्क एवं अन्य UPI से संग्रहित राशि का UTR सत्यापन हेतु शाखा प्रबंधक को रिपोर्ट प्रविष्टि करना अनिवार्य है। शाखा प्रबंधक प्रविष्टि UTR नंबर का सत्यापन सेवा अवधि 12 घंटा के अंदर करने उपरांत VGY समूह का e- receipt प्रदत्त करेंगी।

(M) शाखा प्रबंधक के द्वारा प्रमाणित e- receipt अधिकृत माना जाएगा प्रस्तावक (पंचायत सहायक) या अभिकर्ता एवं अन्य किसी को भी e- receipt या मैनुअल रसीद काटने का अधिकार संस्थान नहीं देती है यह दंडनीय अपराध है।

(N) VGY स्विंग सहायता समूह की अधिकृत कोषाध्यक्ष को समूह गठन तिथि से बचत एवं अन्य डिपॉजिट फॉर्म भरकर सचिव एवं अध्यक्ष का हस्ताक्षर करने उपरांत स्वः हस्ताक्षर से UPI & e- Banking संस्थान द्वारा प्रस्तावित खाता एवं QR -code पर भुगतान करना होगा। प्रस्तावक या पंचायत सहायक (अभिकर्ता) को नगद भुगतान करने की अनुमति नहीं देती है, ऐसा करना अथवा बढ़ावा देना दंडनीय अपराध है। जिसकी पुष्टि होने पर प्रस्तावक, पंचायत सहायक (अभिकर्ता) को 10000 से 100000 तक जुर्माना एवं IPC की धारा 420 के तहत 7 साल की न्यायिक हिरासत हो सकता है अथवा दोनों ही।

(O) VGY स्विंग सहायता समूह के अधिकृत कोषाध्यक्ष UPI & E- BANKING ID स्वयं या अन्य सदस्य का उपयोग कर सकते हैं परंतु पंचायत सहायक (अभिकर्ता) का व्यक्तिगत ID का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ऐसा करना नियम संख्या (2- N) के तहत करवाई हो सकता है।

(P) VGY स्विंग सहायता समूह के अधिकृत कोषाध्यक्ष को दैनिक डिपॉजिट फॉर्म दो मूल प्रति में भरने होंगे, एक प्रति पंचायत सहायक या अभिकर्ता को जमा करना होगा तथा दूसरा प्रति पंचायत सहायक से हस्ताक्षर करा कर सुरक्षित रखना होगा। MATURITY की अवधि पूरा होने समय सभी डिपॉजिट फॉर्म जमा करना अनिवार्य होगा।

सावधानी

VGY स्वयं सहायता समूह के सभी कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्यों को निम्नलिखित सावधानी रखनी होगी।

* कभी भी प्रस्तावक या अन्य किसी भी पदाधिकारी एवं सदस्यों को डिपॉजिट एवं अन्य कोई भी राशि नगद एवं व्यक्तिगत UPI - ID पर भुगतान ना करें केवल संस्थान के अधिकृत खाता या QR CODE पर ही भुगतान करें। अन्यथा भविष्य में होने वाली धोखाधड़ी के लिए संस्थान एवं उनके अधिकृत अधिकारी जिम्मेवार नहीं होंगे।

* VGY स्विंग सहायता समूह के अधिकृत कार्यकारी अधिकारी डिपॉजिट एवं अन्य भुगतान करने उपरांत 12 से 24 घंटा के अंदर प्रस्तावक या पंचायत सहायक से E- receipt अनिवार्य रूप से मांग करें।

* निर्धारित की गई अवधि में E- receipt प्राप्त नहीं होने की स्थिति में शाखा प्रबंधक या टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराएं।

* प्रत्येक महीना (क्लोजिंग सप्ताह) समीक्षा बैठक के दौरान सभी कार्यकारी अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य

समूह का विस्तार

VGY स्विंग सहायता समूह का विस्तार वर्ष में चार बार प्रतीक तीन-तीन महीना पर कर सकते हैं समूह का विस्तार करने का निर्णय आम सभा निम्न शर्तों पर करेगी।

- * समूह 11 सदस्य से 15 सदस्य का संगठन बनाने की दिशा में निर्णय ले सकते हैं, समूह में 15 से अधिक सदस्य शामिल नहीं किया जा सकता है।
- * समूह में कोई भी पद अथवा सदस्य की संख्या कम होने की स्थिति में भी विस्तार करने का निर्णय लिया जा सकता है।
- * समूह अ - सक्रिय सदस्य को निष्कासित कर नए सदस्य शामिल कर सकती है।
- * VGY स्विंग सहायता समूह की नियमावली एवं कार्यकारी अधिकारी के निर्देशों के विपरीत कार्य करने, नियमों का पालन नहीं करने की स्थिति में कार्यकारी अधिकारी समूह से बर्खास्त करने का निर्णय ले सकते हैं।
- * डिपॉजिट नियम के तहत बचत नहीं करने की स्थिति में कार्यकारी अधिकारी के द्वारा सदस्यता रद्द किया जा सकता है।

विघटन

VGY स्विंग सहायता समूह का विघटन 5 वर्ष होने उपरांत निम्न शर्तों पर किया जा सकता है।

- * सभी सदस्यों का सामान्य मत होना अनिवार्य है।
- * स्वयं सहायता समूह के किन्ही सदस्यों पर भुगतान से संबंधित कोई भी प्रक्रिया प्रभावित ना हो।
- * स्वयं सहायता समूह के किन्ही सदस्यों पर प्रशासनिक एवं न्यायिक मामला में दोषी सिद्ध अथवा लंबित न हो।

रिकॉर्ड एवं साधन

VGY स्विंग सहायता समूह के अधिकृत कार्यकारी अधिकारी समूह एवं सदस्यों का रिकॉर्ड और संसाधन की आपूर्ति करेगी।

- * समूह गठन करने की तिथि से 15 दोनों के अंदर सभी सदस्यों का डिपॉजिट पासबुक प्रस्तावक से मांग कर लेना होगा।
- * डिपॉजिट पासबुक VGY स्वयं सहायता समूह के नाम से उपलब्ध कराई जाएगी डिपॉजिट पासबुक राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा संस्थान से प्रमाणित करने की पुष्टि नहीं हो सकता है।
- * डिपोजिट पासबुक एवं प्रविष्टि रकम VGY स्विंग सहायता समूह और संस्थान के बीच कम्युनिटी करार व्यापारिक निवेश को बढ़ावा देने और साझेदार के रूप में सह शर्त है।
- * कार्यकारी अधिकारी को VGY स्विंग सहायता समूह की डिपॉजिट रिकॉर्ड बुक या प्रपत्र दैनिक कार्यवाही के रूप में सुरक्षित रखना अनिवार्य है।
- * कार्यकारी अधिकारी, VGY समूह के सभी सदस्यों को E- receipt एवं पासबुक सुरक्षित रखना अनिवार्य पासबुक खो जाने पर पुनर पासबुक निर्गत नियम का पालन करना अनिवार्य है।

VGY डिपॉजिट

VGY डिपॉजिट महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है, यह योजना सोसाइटी एवं छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए प्रभावशाली माना गया है। देश के 65 प्रतिशत से अधिक आबादी गरीबी के कारण अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और भविष्य देने में असमर्थ हैं, जिसका मूल कारण अपने जीवन की सभी पूंजी छोटी मोटी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में ही खर्च कर देते हैं। अर्थात् वह जीवन भर मेहनत करने के बावजूद भी भविष्य के लिए धन जुटा नहीं पता है और वह पूरी जिंदगी आर्थिक तंगी में गुजारने को मजबूर होता है। VGY डिपॉजिट योजना वैसे लोगों के लिए बेहतर कल और वर्तमान को भी बेहतर बनाने की दिशा में प्रेरित करता है और निम्न क्षेत्र में सफल प्रतिभागी बनने का अवसर प्रदान करता है।

1.

VGY डिपॉजिट योजना अपने (निवेशक) को 11 से 18 प्रतिशत निवेश INTEREST अथवा M.S.M.E में साझेदार बनता है।

2.

VGY डिपॉजिट योजना अपने (निवेशक) को सूक्ष्म, लघु, एवं मध्यम उद्योग (MSME) में साझेदारी (SHARE/PARTNER-SHIP) लेने एवं एंजॉयमेंट जैसी अवसर प्रदान करता है।

3.

VGY डिपॉजिट योजना अपने (निवेशक) को SGI RETAIL SHOP & MART लगाने का अवसर प्रदान करती है। तथा CONSUMER को E-CREDIT CARD वितरण करने का अवसर प्रदान करता है।

4.

VGY डिपॉजिट योजना अपने (निवेशक) को SGI MULTI LEVEL MARKETING & RETAIL लाभ अर्जित करने का अवसर प्रदान करती है।

5.

VGY डिपॉजिट योजना अपने (निवेशक) को SGI FREE CONSUMER & E-CREDIT CARD पर खरीदारी करने के दौरान 5% TO 25% DISCOUNT PROFIT प्राप्त करने का अवसर देती है।

6.

VGY डिपॉजिट योजना अपने (निवेशक) को (SGI) CONCEPT के तहत BIKE & CAR FUND ACHIEVERS बनने का अवसर प्रदान करता है।

VGY डिपॉजिट योजना अपने (निवेशक) को (SGI) CONCEPT के तहत HOSE & LUXURY HOSE अर्जित करने का अवसर प्रदान करता है।

7.

VGY डिपॉजिट योजना अपने (निवेशक) को SGI CONCEPT के तहत NATIONAL & INTERNATIONAL TOUR पर जाने का अवसर प्रदान करता है।

8.

VGY डिपॉजिट योजना अपने (निवेशक) को (SGI) CONCEPT के तहत CLUB ROILETY PLAN का हिस्सा बनती है।

9.

VGY डिपॉजिट योजना अपने (निवेशक) को बिहार सरकार, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभार्थी बनती है।

10.

VGY डिपॉजिट योजना अपने (निवेशक) के बच्चों को ACADEMY GURU शिक्षण संस्थान में उच्च शिक्षा एवं JOB & PLACEMENT देने में सहायक है।

11.

VGY डिपॉजिट योजना अपने (निवेशक) अथवा उनके बच्चों को NURSING TRAINING & PLACEMENT देने में सहायक है।

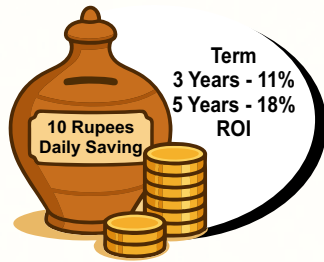
12.



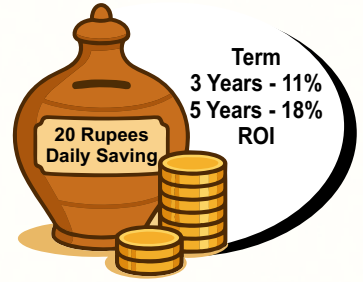
VGY डिपॉजिट प्रक्रिया

VGY स्वयं सहायता समूह के सदस्यों अपने विवेक अथवा क्षमता के अनुरूप DS (DAILY SAVING) के रूप में अधिकृत पॉलिसी एवं मैच्योरिटी पॉलिसी को परिचालन करने में सक्षम होंगे यह सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य है।

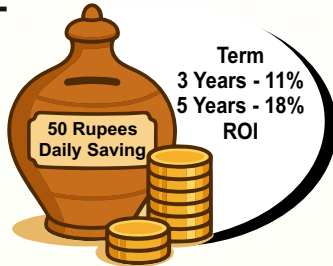
1. पॉलिसी नंबर VGY -
DS 10-Y1095/1825
(10, RUPEES
DAILY SAVING)
MATURITY:-
3, YEARS 11%IR
5, YEARS 18%IR



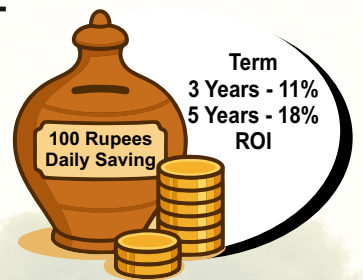
2. पॉलिसी नंबर, VGY-
DS 20- Y1095/1825
(20, RUPEES
DAILY SAVING)
MATURITY:-
3, YEARS 11%IR
5, YEARS 18%IR



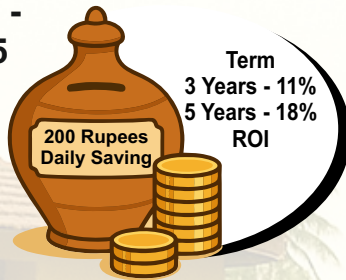
3. पॉलिसी नंबर VGY -
DS 50-Y1095/1825
(50, RUPEES
DAILY SAVING)
MATURITY:-
3, YEARS 11%IR
5, YEARS 18%IR



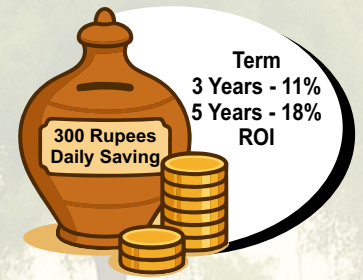
4. पॉलिसी नंबर, VGY-
DS100-Y1095/1825
(100, RUPEES
DAILY SAVING)
MATURITY: -
3, YEARS 11%IR
5, YEARS 18%IR



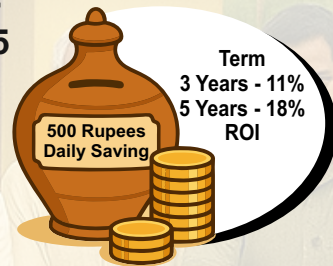
5. पॉलिसी नंबर, VGY -
DS 200Y- 1095/1825
(200, RUPEES
DAILY SAVING)
MATURITY:-
3, YEARS 11%IR
5 YEARS 18%IR



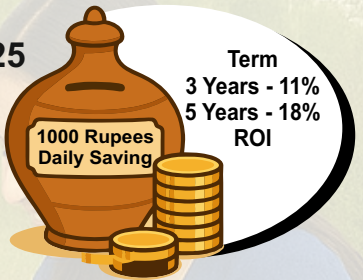
6. पॉलिसी नंबर, VGY-
DS 300Y-1095/1825
(300, RUPEES
DAILY SAVING)
MATURITY:-
3, YEARS 11%IR
5, YEARS 18%IR



7. पॉलिसी नंबर, VGY-
DS 500-Y 1095/1825
(500, RUPEES
DAILY SAVING)
MATURITY:-
3, YEARS 11%IR
5 YEARS 18%IR



8. पॉलिसी नंबर, VGY-
DS 1000Y -1095/1825
(1000, RUPEES
DAILY SAVING)
MATURITY:-
3, YEARS 11%IR
5, YEARS 18%IR



* VGY-DS योजना दैनिक बचत (निवेश) के रूप में संचालित योजना है, बचत करता को वर्ष में 365 दिन 3 वर्ष की (मैच्योरिटी) 1095 और 5 वर्ष की (मैच्योरिटी) 1825 दिनों का है।

* सदस्य/धारक DS पॉलिसी नंबर 1 से 8 तक कोई भी योजना का लाभार्थी बन सकते हैं।

* सदस्य/धारक को दैनिक बचत सुबह 5:00 से संध्या 5:00 बजे तक बचत कर लेना होगा। अन्यथा 5% अधिक विलंब शुल्क भुगतान करनी होगी।

डिपॉजिट रिटर्न निकाशी प्रक्रिया

VGY - DS सदस्य/धारक का डिपॉजिट निकासी मैच्योरिटी की अवधि 3 वर्ष अर्थात 1095 और 5 वर्ष अर्थात 1825 दिन होने उपरांत ही दाखिल किया जा सकता है। समय सीमा से पूर्व सदस्यता निष्क्रिय होने की स्थिति में सदस्य/धारक को आर्थिक जोखिम(प्लेंटी)चार्ज के रूप में हो सकता है।

- * मैच्योरिटी की अवधि पूरा होने तथा विड्रॉल प्रपत्र दाखिल करने की तिथि से 45 दिनों के अंदर सदस्य/ धारक का डिपॉजिट राशि अतिरिक्त ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा, समय सीमा से पूर्व मैच्योरिटी की मांग करना अनुबंध (CONTRACT) का हनन करना है। जिसके विरुद्ध संस्थान न्यायिक करवाई सदस्य/ धारक के खर्चे पर करने में सक्षम होगी। उनसे सभी प्रकार के आर्थिक, मानसिक, एवं व्यापारिक छाती की भरपाई कराई जाएगी।
- * सदस्य/ धारक को मैच्योरिटी विड्रॉल प्रपत्र ऑनलाइन (ऑफिशियल e - लिंक) पर प्रविष्ट करना होगा या शाखा प्रबंधक को (ऑफलाइन) विड्रॉल प्रपत्र भरकर जमा कर सकता है।
- * ऑफलाइन विड्रॉल प्रपत्र दाखिल करने के दौरान शाखा प्रबंधक सदस्य/धारक का बायोमेट्रिक फिंगर (निसान) का मिलान अनिवार्य रूप से करेगी।

उत्तराधिकारी के द्वारा निकासी

सदस्य/धारक के मृत्यु उपरांत उत्तराधिकारी (नोमिन) को मैच्योरिटी विड्रॉल करने का अधिकार है , वह निम्न शर्तों का पालन करने उपरांत ही मैच्योरिटी निकासी हेतु स्वामित्व अथवा अधिकार जाता सकते हैं अन्यथा नहीं।

- * सदस्य/ धारक की मृत्यु होने से संबंधित सूचना 15 दिनों के अंदर शाखा प्रबंधक को सूचित करना अनिवार्य है।
- * सूचना मृत्यु प्रमाण पत्र एवं न्यायालय अभी प्रमाणित शपथ पत्र के रूप में दाखिल करनी होगी। तथा खाता को निष्क्रिय करने या स्थानांतरण करने का अनुरोध शपथ पत्र पर अंकित करना होगा।
- * खाता निष्क्रिय करने के अनुरोध पर मैच्योरिटी विड्रॉल नियम संख्या 08 संबंधित प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है।
- * खाता स्थानांतरित करने का अनुरोध पर 15 दिनों में शपथ पत्र में अंकित नाम एवं विवरण करता के नाम पर सदस्यता स्थानांतरण कर दिया जाएगा तथा मैच्योरिटी विड्रॉल नियम संख्या 08 के तहत भुगतान किया जाएगा।

